IMC

स्वस्थ ज़िंदगी

इंटरनेशनल
मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड

आचार संहिता

1 अक्तूबर 2023 से लागू

हिंदी

आचार संहिता

1. परिचय

1.1 आईएमसी आपका स्वागत करती है : इंटरनेशनल मार्केटिंग कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (आई.एम.सी. या कंपनी) एक ऐसी कंपनी है जिसे कंपनी एक्ट, 1956 के तहत शुरू किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय श्री गुरु नानक देव भवन, नज़दीक भारत नगर चौंक, लुधियाना, पंजाब–141001 में स्थित है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष बिक्री के द्वारा विभिन्न घरेलू, एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स, आयुर्वेदिक और हर्बल दवाईयाँ, हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर से संबंधित उत्पाद और पशुपालन तथा कृषि से संबंधित उत्पाद उपलब्ध करवाती है।

1.2 यह आचार संहिता आई.एम.सी. बिज़नेस एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म का हिस्सा है और सारे बिज़नेस एसोसियेट्स को कंपनी के आचार संहिता का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। साथ ही उनके डाउनलाइन्स को भी इसी वचनबद्धता के साथ आचार संहिता का अनुपालन करना चाहिए। इन आचार संहिताओं का अनुपालन करना अनिवार्य है जैसा कि बिज़नेस एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म में बताया गया है और इन आचार संहिताओं के नियमों का उल्लंघन करने वाले बिज़नेस एसोसियेट्स से सम्बन्धों की समाप्ति की जा सकती है और बोनस, अन्य अधिकारों तथा हितों को भी जब्त किया जा सकता है।

1.3 आई.एम.सी. के पास आचार संहिता, आई. एम. सी. एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म, बिज़नेस प्लान और सारे ऑफिशियल बिज़नेस लिटरेचर में किसी भी समय संशोधन करने, बदलने या उसे वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है। इसकी सूचना आई.एम.सी. की ऑफिशियल वेबसाइट ूपउबइनेपदमेण्बवउद्ध पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। सभी बिज़नेस एसोसियेट्स को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर होने वाले अपडेट्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहें।

2. आई.एम.सी. प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट के तौर पर

2.1 प्रीफर्ड कस्टमर : 18 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति प्रीफर्ड कस्टमर बन सकता है। आई.एम.सी. का प्रीफर्ड कस्टमर बनने के लिए एक आवेदक को निम्नलिखित संपर्क जानकारी प्रस्तुत करनी होगी जैसे कि ए) नाम, बी) संपर्क नंबर, सी) पता और डी) कोई अन्य आवश्यक जानकारी। एक प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में, एक व्यक्ति आई. एम.सी. उत्पादों को रियायती मूल्य पर खरीदने का हकदार होगा, लेकिन वह किसी अन्य व्यक्ति को आई.एम.सी. एसोसियेट के रूप में स्पोंसर करने या कोई लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा करने के लिए प्रीफर्ड कस्टमर (बाद में पी.सी. के तौर पर संदर्भित) को अपने दर्जे को आई.एम.सी. एसोसियेट में परिवर्तित करवाना होगा।

2.2 बिज़नेस एसोसियेट : अठारह वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो किसी समझौते को क्रियान्वित करने के योग्य हो और जो कभी भी कानूनी रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, वह बिना किसी निवेश के आई.एम.सी. का बिज़नेस एसोसियेट बन सकता है। वह किसी भी प्रकार के शुल्क की अदायगी किए बिना आई.एम. सी. का बिज़नेस एसोसियेट (प्रत्यक्ष विक्रेता) बन सकता है। बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए किसी भी उत्पाद को खरीदने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है।

2.2.1 तथापि, आई.एम.सी का प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट बनने के लिए, ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति जो योग्यता मापदंड को पूरा करता है, ओटीपी मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर कंपनी का प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट बन सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रति व्यक्ति केवल एक ही पंजीकरण संभव है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया बिंदु 2.4 देखें।

2.3 ज्वाइन करने की प्रक्रिया : आईएमसी बिज़नेस एसोसियेट बनने के लिए एक आवेदक को एक मौजूदा आईएमसी बिज़नेस एसोसियेट द्वारा स्पोंसर किया जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरनी होगी साथ में ए) सरकार द्वारा जारी पहचान प्त्र, बी) आवासीय प्रमाण, सी) स्थायी खाता नंबर (पैन कार्ड), डी) पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ई) कैंसल बैंक चैक/पासबुक आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर, आई.एम.सी. अपने विवेक से ऐसे चूककर्ता प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट के साथ अपने संबंध को निलंबित और बाद में समाप्त कर सकता है। प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट हर समय आई.एम.सी. आचार संहिता का पालन करेगा और इसके अधीन होगा।

2.4 आईएमसी प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग – आईएमसी बिज़नेस में शामिल होने पर, एक बिज़नेस एसोसियेट को आईएमसी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से आईएमसी उत्पादों के बारे में जानने, उत्पादों को रिटेल में बेचने और ग्राहक आधार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आईएमसी द्वारा समय–समय पर निर्धारित राशि की संचित बिक्री पूरी होने पर, बिज़नेस एसोसियेट्स अन्य बिज़नेस एसोसियेट्स को स्पॉन्सर करने और बिज़नेस टीम द्वारा उत्पन्न बिक्री पर लाभ प्राप्त करके अपने आईएमसी बिज़नेस का विस्तार कर सकेंगे। शेष सक्षम स्पॉन्सर को क्वालिफाइंग बिक्री को पूरा करने की आवश्यकता वार्षिक आधार पर लागू होती है।

2.5 लॉगइन पोर्टल और एसोसियेट आई.डी. का एक्टिवेशन : आई.एम.सी. अपने सभी नए ज्वाइनिंग को एक यूनीक आई.डी. जारी करेगी और वही उस प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट की पहचान के रूप में काम करेगी और आई.एम.सी. के अंतर्गत हर तरह का व्यावसायिक कामकाज इसी यूनीक एसोसियेट आई.डी के माध्यम से किया जायेगा।

2.5.1 जैसे कि बिंदु 2.2.1 में कहा गया है, आई.एम.सी. का प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट बनने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति पहले बताए गए योग्यता मापदंडों को पूरा करता है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर और उसके बाद ओ.टी.पी. वेरिफिकेशन के बाद कंपनी का प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट बन सकता है। ध्यान रहे, प्रति व्यक्ति केवल एक पंजीकरण की ही अनुमति है।

2.5.2 अगर कोई आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के तुरंत बाद ओ.टी.पी. के साथ अपने मोबाइल नंबर को वेरिफाई नहीं कराता है तो उसे 48 घंटों के भीतर ऐसा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उस प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट की आई.डी. स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट, ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपना मोबाइल नंबर आई.एम.सी. पोर्टल पर ओटीपी वेरिफाई नहीं करा लेता है।

2.5.3 एक बार मोबाइल नंबर के वेरिफाई हो जाने के बाद वह प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट आई.एम.सी. वेबसाइट पर अपना वेब प्रोफाइल लॉगइन कर सकता है। बिज़नेस एसोसियेट के लिए अपना प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है जिसके लिए उसे अपना पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पास बुक/कैंसल्ड चेक और साथ ही सेल्फ अटेस्टेड आई.डी. प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र अपने लॉगिन पोर्टल प्रोफाइल में अपलोड करनी होगी। अगर आई.एम.सी. ज्वाइन करते समय बिज़नेस एसोसियेट की किसी भी अन्य स्रोत से अथवा सभी व्यवसायों (यदि है तो) से टर्नओवर कानून के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक है तो उसे जी.एस.टी.एन. का विवरण भी पेश करना होगा। अगर बिज़नेस एसोसियेट ऊपरलिखित दस्तावेजों को अपने पोर्टल में अपडेट नहीं करता है तो आई.एम.सी. उसके पेआउट्स को आसानी से जारी नहीं कर पाएगी।

नोट : निम्नलिखित जानकारी कोई वैधानिक परामर्श नहीं बल्कि सूचनात्मक है। वर्तमान समय में चीजों/उत्पादों की सप्लाई पर 40 लाख रुपये और सेवाएं देने पर 20 लाख रुपये की सामान्य सीमा रेखा है। जबकि विशेष श्रेणी के अन्तर्गत जैसे अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में चीजों/उत्पादों की सप्लाई पर 20 लाख रुपये और सेवाएं देने पर 10 लाख रुपये की सीमारेखा है। कृप्या सीमारेखा के संबंध में अपने सलाहाकार से लागू होने वाली एवं मौजूदा सीमारेखा की जानकारी लें। ऊपरलिखित सीमारेखाएं बिज़नेस ऐसोसियेट्स को कानूनी प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक पूरा करने के लिए बताई गई है। बिज़नेस ऐसोसियेट्स से निवेदन है कि लागू हुए कानून/सन्नियमों का अनुपालन उचित ढंग से करें। आईएमसी की हमेशा कोशिश रहती है कि अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट रखें लेकिन पूर्णतया ठीक होने की गारंटी नहीं लेती।

2.6 एकल व्यक्ति के अलावा अन्य आवेदनकर्ता : एच.यू.एफ, पार्टनरशिप फर्म, एल.एल.पी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट आदि भी आई.एम.सी. बिज़नेस एसोसियेट बन सकते हैं जिसके लिए उन्हें कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म के साथ–साथ आई.एम.सी. का बिज़नेस एसोसियेट फॉर्म भी भरना होगा।

2.6.1 अगर आवेदनकर्ता कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसे अपने बोर्ड द्वारा संकल्प से पारित करके एक अधिकृत प्रतिनिधि रखना होगा। भविष्य में आई.एम.सी. केवल कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ ही डील करेगी।

2.6.2 आवेदनकर्ता संस्थान को अपने संविधान/पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और साथ ही ज्वाइनिंग फॉर्म और कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म भी जमा कराना होगा। एच.यू.एफ. की स्थिति में आवेदनकर्ता के लिए केवल पैन कार्ड की कॉपी आवश्यक होगी।

2.6.3 पेआउट्स के रूप में, आई.एम.सी. द्वारा प्राप्त की गई आमदनी संस्था के नाम पर या अधिकृत प्रतिनिधि या फिर पार्टनरशिप की स्थिति में प्रबंध साझीदार के आधिकारिक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी।

2.6.4 अगर संविधान/एम.ओ.ए/ए.ओ.ए आदि में किसी भी तरह का बदलाव किया जाता है तो आई.एम.सी. को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा, जिसके लिए एक नया कॉर्पोरेट ऑथराइजेशन फॉर्म/एप्लीकेशन फॉर्म, संशोधित संविधान/एम.ओ.ए/ए.ओ.ए. की फोटोकॉपी आई.एम.सी. में जमा करवानी होगी। नये या संशोधित संविधान के साथ पेश किए गए आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार आई.एम.सी. के पास सुरक्षित होगा।

2.6.5 अगर व्यवसायिक संगठन समाप्त हो जाए, तो आई.एम.सी. बकाया धनराशि का भुगतान कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि या एच.यू.एफ. के कर्ता या उस साझेदार को करेगा जो डीड ऑफ डिजॉल्यूशन के मुताबिक इस प्रकार के पेमेंट को स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने दावे की पुष्टि के लिए ज़रूरी कागजात प्रस्तुत करने होंगे। इसी प्रकार इस तरह के डिजॉल्यूशन की स्थिति में आई.एम.सी. का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ऊपरलिखित व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मिलेगा लेकिन उसे कंपनी के सभी डायरेक्टर्स, शेयर धारकों, कंपनी/एच.यू.एफ./पार्टनरशिप के सदस्यों या पार्टनरों से नो–ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर पेश करना होगा।

2.7 आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार : आई.एम.सी. के प्रीफर्ड कस्टमर/बिज़नेस एसोसियेट बनने के लिए दिए गए आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी को होगा और ऐसा करने के लिए कंपनी को किसी भी प्रकार की सफाई देने की बाध्यता नहीं होगी।

2.8 दिशानिर्देश सत्र (ओरिएंटेशन सेशन): नए आई.एम.सी. बिज़नेस एसोसियेट की स्थिति में, डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस पारिश्रमिक प्रणाली या व्यवस्था और अपेक्षित पारिश्रमिक के सभी पहलुओं को समझने के लिए आवेदन कर्ता को दिशानिर्देश सत्र में शामिल होना ज़रूरी है।

2.9 निषेधित गतिविधियां :

2.9.1 आई.एम.सी. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष बिक्री दिशा निर्देश 2021 का पालन करती है और साथ ही अपने बिज़नेस एसोसियेट्स को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आई.एम.सी में ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है ना ही किसी अनिवार्य खरीदारी की कोई शर्त है और ना ही उत्पाद का न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने जैसी शर्त है। नए अथवा मौजूदा सभी प्रीफर्ड कस्टमर्स/बिज़नेस एसोसियेट्स को आई.एम.सी. बिज़नेस ज्वॉइन करने के लिए अथवा आई.एम.सी. से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित किसी भी शर्तों को मानने की बाध्यता नहीं है :

a. जुड़ने के लिए कोई फीस देना, किसी खास संख्या या मात्रा में उत्पादों को खरीदना।

b. कम–से–कम दर्शायी गई सामान की मात्रा को बनाए रखना।

c. बिक्री बोनस या रैंक वृद्धि की योग्यता प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करना।

d. अपने एसोसियेट चैनल में आवश्यकता से अत्याधिक सामान की खरीदारी को बढ़ावा देना।

e. प्रमोशनल टेपस, लिट्रेचर, ऑडियो विजुअल सामग्री या दूसरी सामग्री या प्रोग्रामस खरीदना।

f. सेमिनार्स में भाग लेना या शामिल होना या अन्य मीटिंग्स में शामिल होने के लिए टिकट खरीदना।

2.9.2 केन्द्र सरकार के उपरोक्त नियमों या दिशा निर्देशों के अलावा आई.एम.सी. अपने खुद के आचार संहिता का भी पालन करती है, जिनका अनुपालन करना सभी बिज़नेस एसोसियेट्स का दायित्व है।

a. बज़नेस एसोसियेट को अपनी आई.डी. पर अपने किसी मित्र, सगे संबंधी या किसी अन्य एसोसियेट को व्यवसाय कराने की अनुमति नहीं है।

b. बिज़नेस एसोसियेट जिसका कंपनी में अपना सक्रिय एसोसियेट आई.डी. है, वह अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर किसी अन्य स्पोंसर के साथ/तहत फिर से ज्वॉइन नहीं कर सकता।

c. बिज़नेस एसोसियेट्स के लिए यह आवश्यक है कि वे आई.एम.सी. उत्पादों को आई.एम.सी. के अधिकृत आउटलेट्स या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से ही खरीदें, साथ ही इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि एसोसियेट्स क्रॉस ग्रुप सेलिंग या ऐसी अन्य बहकाने वाली गतिविधियों में शामिल ना हों।

d. बिज़नेस एसोसियेट्स के लिए आई.एम.सी. के उत्पाद आउटलेट्स या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से अपना एसोसियेट आई.डी. दिखाकर खरीदना आवश्यक होगा। हर एक खरीदारी का बिल भी लेना होगा और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में बिज़नेस एसोसियेट को किसी प्रकार का इंसेंटिव, बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा और न ही वह उत्पाद को वापिस करने या बदलने का पात्र होगा।

e. सभी बिज़नेस एसोसियेट्स को आईएमसी उत्पादों को समय–समय पर आईएमसी द्वारा अपडेट की गई रेट लिस्ट के अनुरूप बेचने होते हैं। कोई भी बिज़नेस एसोसियेट, प्रॉडक्ट को प्राइस लिस्ट में लिखे एसोसियेट प्राइस से नीचे नहीं बेच सकता है और ना ही वह अपने ग्राहकों को किसी भी प्रमोशनल ऑफर या डिस्काउंट की पेशकश कर सकता है जो कि समय–समय पर आईएमसी द्वारा जारी रेट लिस्ट के अनुसार नहीं है। कोई भी बिज़नेस एसोसियेट, जो एसोसियेट मूल्य से नीचे डिस्कांउट मूल्य पर उत्पादों की बिक्री की पेशकश करता हुआ पाया जाता है, उसे बेहद सस्ती कीमतों के तहत माल बेचने में लिप्त माना जाएगा। कंपनी के पास यह अधिकार है कि वह कंपनी की आचार संहिता के अनुसार उस बिज़नेस एसोसियेट के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उसकी बिज़नेस एसोसियेटशिप तक को समाप्त कर सकती है।

f. सभी बिज़नेस ऐसोसियट्स को अपनी इनवेन्टरी की आवश्यकता के अनुसार आईएमसी उत्पाद खरीदने चाहिये। जो ऐसोसियट्स अत्याधिक स्टॉक रखते हैं उनको आवश्यक जानकारी रिकॉर्ड में रखनी होगी जिस प्रकार बिल, रसीदें, कस्टमर डाटा, उत्पादों का विवरण, उत्पादों की मात्रा अथवा कोई भी अन्य जानकारी जो आईएमसी द्वारा निर्देशित हो। आईएमसी के पास किसी भी समय यह जानकारी प्राप्त करने के अधिकार सुरक्षित हैं। इस कर्तव्य का पालन न करने का अंजाम लाभ और प्रोत्साहन राशि का रोका जाना और बिज़नेस एसोसियट का संभावित निष्कासन हो सकता है। इसके अतिरिक्त आईएमसी के निर्णय के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।

g. आई.एम.सी. से पूर्व लिखित सहमति के बिना बिज़नेस एसोसियेट किसी भी ई–कॉमर्स प्लैटफॉर्म, वेबसाइट, एप्प इत्यादि के इस्तेमाल से आई.एम.सी उत्पादों को नहीं बेच सकता है।

h. आई.एम.सी. अपने बिज़नेस एसोसियेट्स में भी निवेश करती है जिसके अन्तर्गत विविध प्रकार के प्रशिक्षण सत्रों, मोटिवेशनल सेमिनारस या प्रेरक कार्यक्रमों, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप वर्कशॉप्स आदि का आयोजन किया जाता है, इसलिए अपने या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंतर्गत किसी अन्य कंपनी के साथ जुड़कर कोई और व्यापार करने की सख्त मनाही है। दोषी पाए जाने पर ऐसे बिज़नेस एसोसियेट को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, जो महज बिज़नेस एसोसियेट आई.डी. की समाप्ति तक ही सीमित नहीं होंगे बल्कि दोषी ऐसोसियेट्स का कमीशन/इंसेंटिव भी रोक दिया जाएगा।

i. यह बात बिज़नेस एसोसियेट्स को स्वीकार्य है कि आईएमसी अपने समय और संसाधनों का निवेश उनके प्रशिक्षण, विकास, उन्नति के लिए करती है जो कि कम्पनी में उनकी सफलता के लिए अति आवश्यक है।

j. आईएमसी के साथ अपनी ऐसोसियेशन के दौरान अथवा आईएमसी को छोड़ने का इस्तीफा देने पर बिज़नेस ऐसोसियेट्स प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आईएमसी के साथ प्रतिस्पर्धा वाला व्यापार न करने का वचन देते हैं। एसोसियेट्स समझते हैं कि इस प्रकार का कार्य पर उनके प्रति कानूनी कार्यवाही हो सकती है और उन्हें आईएमसी को इस नुकसान का मुआवजा देना पड़ सकता है।

k. यदि एम्बेसडर स्टार एसोसियेट और उसके ऊपर स्तर का बिज़नेस एसोसियट इस्तीफा देता है या आईएमसी छोड़ देता है तो वह एम्बेसडर स्टार एसोसियट और उसके ऊपर स्तर से इस एसोसियशन में पिछले 6 महीने की कमाई कमीशन आईएमसी को वापस करने के लिए सहमति देता है। इस्तीफे/निष्कासन के समय ही बिना किसी विरोध या चुनौती के वह इसे वापस कर देगा। बिज़नेस एसोसियट सहमति देते हैं कि आईएमसी से इस्तीफा देने या निष्कासित होने के बाद आईएमसी से पिछले, वर्तमान और भविष्य के बिज़नेस के प्रति कोई दावा नहीं करेंगे।

l. सभी अचीवमेन्ट अवार्ड, बोनस, कमीशन तथा इनसेन्टिवस आईएमसी द्वारा पुर्नविचार और अनुमोदन के विषय हैं। बिज़नेस एसोसियट्स को आईएमसी की आचार संहिता, नियमों व शर्तों, नीतियों और मानकों का अनुपालन करना होगा और भली–भांति जानकर इस प्रकार श्रेष्ठ बिज़नेस एसोसियट (गुड स्टैंडिंग) बनना होगाः

- यदि वे आईएमसी की आचार संहिता, नीतियों, लागू किए गए व्यवस्था विधानों, नियमों तथा अधिनियमों का अनुपालन करते हैं।
- यदि वे इस प्रक्रिया का पालन न करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण नहीं करते हैं अथवा सहयोग नहीं देते हैं।
- जब तक वे अपने अनुबंध का उल्लंघन नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं।
- जब तक उनके कार्य व व्यवहार आइएमसी के बिज़नेस और अस्तित्व से संबंधित प्रतिष्ठा पर दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। जब तक वे संभावित उल्लंघनाओं के प्रति जागरूक नहीं होते और उनके विरूद्ध आवाज़ नहीं उठाते या किसी भी कारणवश ऐसी गतिविधियों के बारे आईएमसी को सूचित करने में विफल रहते हैं।
- श्रेष्ठ बिज़नेस एसोसियट (गुड स्टैंडिंग) खोकर उसकी पुनः प्राप्ति पूर्णतया आईएमसी के निर्णय पर आधारित है या फिर लागू किए गए प्रतिबंधों का जब तक पालन नहीं हो जाता। आईएमसी के पास उन बिज़नेस एसोसियट्स कमीशन, बोनस, प्रोत्साहन राशि रोकने का अधिकार सुरक्षित है जिन्होंने नीतियों का उल्लंघन किया है। बारम्बार अनुपालन न करने की स्थिति में बिज़नेस ऐसोसियट के आईएमसी के साथ व्यवसायिक सम्बन्ध समाप्त होने का कारण बन सकते हैं।

m. नई सूचनाओं या प्रमोशन गतिविधियों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए यह ज़िम्मेदारी बिज़नेस एसोसियेट की होगी कि वह अपना ऑनलाइन लॉगइन पोर्टल को चेक/मेन्टेन करता रहे। कोई भी बिज़नेस एसोसियेट अपना लॉगइन आई.डी. या पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करे। अगर कोई बिज़नेस एसोसियेट अपना लॉगइन आईडी या पासवर्ड खो देता है या उसकी गोपनीय सूचनाओं का दुरुपयोग होता है तो इसके लिए आई.एम.सी. कतई ज़िम्मेदार नहीं होगी। अपनी गोपनीय जानकारियों की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरह बिज़नेस एसोसियेट का है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि समय–समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें।

n. आई.एम.सी. एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराना चाहती है, जिसमें समान विचार वाले लोग आपस में जुड़ सकें और अपने ज्ञान और अनुभव को आपस में साझा कर सकें, जो उनके निजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकें। इसलिए सभी बिज़नेस एसोसियेट्स से आग्रह है कि वे किसी राजनैतिक या धार्मिक मुद्दे पर बहस नहीं करें। साथ ही ऐसे किसी विषय पर बहस को बढ़ावा ना दें जिसके कारण आई.एम.सी. के सदस्यों या बिज़नेस एसोसियेट्स के अंदर अनुचित भावनाएं पैदा हों।

o. आई.एम.सी. के व्यवस्थागत माहौल के संरक्षण के लिए आई.एम.सी. ऐसे किसी भी बिज़नेस एसोसियेट को बर्दाश्त नहीं करेगी जो किसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो। साथ ही ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आई.एम.सी. की नीतियों या केन्द्र, राज्य या स्थानीय नियमों के खिलाफ हो।

p. आई.एम.सी. की पूर्व अनुमति से कोई भी एसोसियेट आई.एम.सी. के उत्पादों की कैनोपी या स्टाल लगाकर या किसी स्थान पर प्रदर्शनी के ज़रिए बेच सकता है। इस तरह की गतिविधि के लिए किसी संबंधित सरकारी विभाग या अधिकारी से अनुमति लेने की ज़िम्मेदारी एसोसियेट की होगी।

q. अगर कोई बिज़नेस एसोसियेट, मेडिकल चेकअप या दवाईयाँ प्रेस्क्राइब करने के लिए कोई आयुर्वेदिक कैंप लगाना चाहता है तो ऐसा बिना आई.एम.सी. की पूर्व अनुमति के संभव नहीं है और साथ ही साथ यह कैंप एक योग्य या प्रमाणित डॉक्टर की उपस्थिति में ही होना चाहिए तथा सभी आवश्यक औपचारिकताओं के साथ–साथ उचित अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने की ज़िम्मेदारी उस बिज़नेस एसोसियेट की होगी।

r. आई.एम.सी. उससे जुड़े व्यक्तियों के लिए स्वस्थ माहौल प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसलिए आई.एम.सी. अपने बिज़नेस एसोसियेट से यह आग्रह करती है कि वे देश के एक सामाजिक और सुसंस्कृत नागरिक के रूप में व्यवहार करें। आई.एम.सी. के किसी भी बिज़नेस एसोसियेट, कर्मचारी, प्रीफर्ड कस्टमर या उनके किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ किसी भी बिज़नेस एसोसियेट को बुरा व्यवहार करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है।

s. कंपनी की किसी मीटिंग या सेमिनार के दौरान धूम्रपान करने, शराब का सेवन, पान, पान मसाला या गुटखा चबाने की ज़रा भी अनुमति नहीं होगी। किसी बिज़नेस एसोसियेट या उनके किसी अतिथि द्वारा इस नियम के उल्लंघन की स्थिति में उसकी बिज़नेस एसोसियेट आई.डी. समाप्त कर दी जाएगी।

t. आईएमसी अपने बिज़नेस एसोसियेट्स को किसी भी रूप में क्रेडिट की सुविधा प्रदान नहीं करती है; इसी प्रकार सभी बिज़नेस एसोसियेट्स न तो अपनी डाउनलाइन को खुद उधार दे सकते हैं और न ही वह कंपनी के चैनल पार्टनर्स जैसे कि आउटलेट, फ्रैंचाइजी, सीएसए, स्टेट ऑफिस से खुद को या अपनी डाउनलाइन्स को उधार दिलवा सकते हैं।

2.10 वास्तविक सदस्यता, कुछ रिश्तों का निष्कासन या समाप्ति :

2.10.1 किसी बिज़नेस एसोसियेट की पत्नी को स्वाभाविक तौर पर सह–आवेदक (को–अप्लीकेंट) के रूप में आई.एम.सी. की सदस्यता प्राप्त होगी। लेकिन सभी तरह के इंसेंटिव्स या लाभ पति या पत्नी में से उसके अकाउंट में जमा होगा जिसने प्राथमिक सदस्यता ली होगी। पति–पत्नी के बीच दुर्भाग्यपूर्ण तलाक की स्थिति में बिज़नेस एसोसियेट आई.डी. के लाभ का बंटवारा दोनों के बीच की आपसी सहमति के आधार पर होगा या इस सम्बन्ध में अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोई भी उपहार या टूर केवल सक्रिय बिज़नेस एसोसियेट को दिया जाएगा। इसके लिए यह ज़रूरी है कि उस बिज़नेस एसोसियेट को तलाक सम्बन्धी निर्णय के कागजात की प्रति लिपियों को एक लिखित आवेदन के साथ आई.एम.सी. को प्रस्तुत करना होगा।

2.10.2 आई.एम.सी. बिज़नेस की एक टीम में जुड़ा हुआ कोई एसोसियेट अपने माता–पिता या बच्चों को आई.एम.सी. की किसी अन्य बिज़नेस टीम का सदस्य नहीं बना सकता है। हालांकि वे उस बिज़नेस एसोसियेट की डाउनलाइन में एसोसियेट के रूप में शामिल हो सकते हैं।

2.10.3 भाई, बहन या शादीशुदा बेटी उस बिज़नेस एसोसियेट के परिवार के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे। ये लोग किसी भी अन्य बिज़नेस टीम में जुड़ सकते हैं और बिज़नेस के नियमों के मुताबिक काम कर सकते हैं।

2.10.4 कानूनी तौर पर अलग हो चुकी पत्नी, पति, पुत्र या पुत्री अकेले भी बिज़नेस कर सकते हैं जिसके लिए आई.एम.सी. की पूर्व सहमति जरूरी है।

2.10.5 अगर दो बिज़नेस एसोसियेट्स आपस में विवाह कर लें :

a. पति और पत्नी अपनी पुरानी अलग–अलग बिज़नेस एसोसियेट आईडी पर अलग–अलग काम कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में दो व्यवसायों को एक साथ मिलाया नहीं जा सकता है। हालांकि, अगर वे केवल एक आईडी के तहत काम करना चाहते हैं तो उन्हें आईएमसी की सहमति से किसी एक आईडी से इस्तीफा देना होगा। अपलाइन बिज़नेस एसोसियेट के लिए इस्तीफा देने वाली बिज़नेस एसोसियेट आईडी की किसी भी लैग को रोल अप नहीं किया जाएगा। इस्तीफा देने वाली बिज़नेस एसोसियेट आईडी को आई.एम.सी. प्लेस होल्डर से बदल दिया जाएगा और कंपनी पॉलिसी के अनुसार अपलाइन के लिए यह एक लैग मानी जाएगी।

b. दो शादी–शुदा एसोसियेट्स पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं और जिस आई.डी. पर इस्तीफा नहीं दिया गया है उस पर साथ में काम कर सकते हैं।

2.11 किसी बिज़नेस एसोसियेट की विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में :

2.11.1 किसी बिज़नेस एसोसियेट की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसका बिज़नेस उसके सह–आवेदक या नॉमिनी या अदालत द्वारा कानूनी तौर पर घोषित उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाएगा।

2.11.2 अगर कोई बिज़नेस एसोसियेट जो रूबी लेवल को बरकरार रखे हुए है और जो कार फंड के योग्य हैं, अगर दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह से या आंशिक तौर पर विकलांग (कोई दो अंग खो दें) हो जाए तो आई.एम.सी. उसके परिवार के सदस्यों को बिना साइड वॉल्युम्स (पीजीबीवी) बरकरार रखे लीडरशिप बोनस पाने या दूसरे इंसेंटिव्स हासिल करने का विशेषाधिकार देती है।

इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में, यदि कोई रूबी लेवल का बिज़नेस एसोसियेट तीन अलग–अलग लैग्स क्वालिफाई करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे में अगर वह कम से कम अपनी दो अलग अलग लैग्स में एक–एक क्वालिफाई सुपर स्टार लेवल मेन्टेन कर लेता है तो वह उपरोक्त बताए अनुसार लीडरशिप बोनस और अन्य इंसेंटिव पाने का भी पात्र होगा।

2.11.3 यह नियम रूबी लेवल या उससे ऊपर के सभी बिज़नेस एसोसियेट्स के लिए लागू होगा। हालांकि न्यूनतम योग्यता शर्त उस बिज़नेस एसोसियेट द्वारा हासिल किए गए लेवल के मुताबिक होगी।

2.12 आई.एम.सी. बिज़नेस से उपहार एवं पुरस्कार :

अपने बिज़नेस एसोसियेट्स को प्रेरित करने और उनके परिश्रम को सम्मानित करने के लिए आई.एम.सी. कई प्रकार के उपहारों और पुरस्कारों की घोषणा करती है, क्योंकि अपने बिज़नेस एसोसियेट का समर्थन करना ही आई.एम.सी. की वास्तविक ताकत है। साथ ही आई.एम.सी. कुछ शर्तों और योग्यताओं की भी घोषणा करती है जो किसी बिज़नेस एसोसियेट को इन पुरस्कारों या उपहारों के योग्य बनने के लिए जरूरी है।

a. जिन बिज़नेस एसोसियेट्स ने पुरस्कारों या उपहारों को प्राप्त करने की योग्यता हासिल की है, वह इन उपहारों को छः महीनों के अंदर–अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। इन छः महीनों की अवधि के बीत जाने पर आई.एम.सी. या कोई भी आउटलेट अथवा डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र ऐसे दावों को स्वीकार करने में असमर्थ होंगे।

b. कोई भी बिज़नेस एसोसियेट जिसने किसी पुरस्कार या उपहार या टूर के लिए योग्यता प्राप्त की है वह उन्हें न तो किसी अन्य उपहार के साथ बदल सकता है और न ही उसके बदले नकद राशि प्राप्त कर सकता। योग्यता के आधार पर चुने गए बिज़नेस एसोसियेट्स के लिए आई.एम.सी. समय–समय पर टूर यानि यात्रा लाभ भी उपलब्ध कराती रहती है लेकिन इस संदर्भ में योग्य बिज़नेस एसोसियेट इसे किसी अन्य यात्रा लाभ या बदले में नकद राशि की मांग नहीं कर सकता है। विदेश यात्रा लाभ के मामले में अगर क्वालिफाइड बिज़नेस एसोसियेट के वीज़ा आवेदन को उस देश के दूतावास द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो आई.एम.सी. इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी और ना ही वह किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई वहन करेगी।

c. पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में या अन्य बिज़नेस एसोसियेट्स जो एक एसोसियेट आईडी पर काम कर रहे हो (जैसे किसी बिज़नेस एसोसियेट का पति या पत्नी सह–आवेदक हो) तो केवल कोई एक ही साझेदार/बिज़नेस एसोसियेट ही उपहार या टूर लाभ प्राप्त कर सकता है। आई.एम.सी. की विशेष अनुमति के बिना, आई.एम.सी सभी सह–आवेदकों या भागीदारों या हितधारकों को ऐसे टूर में ले जाने के लिए बाध्य नहीं है।

d. सिल्वर स्टार एसोसियेट से कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसियेट तक के नए मेन्टेन्ड अचीवर्स को क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के अगले महीने में आई.डी. कार्ड के साथ–साथ क्वालिफिकेशन पिन, और सर्टीफिकेट प्रदान किया जाएगा। हालांकि मासिक भुगतान उन्हें उनके द्वारा हासिल किए गए लेवल के आधार पर प्रति माह प्राप्त होगा।

2.13 बिज़नेस एसोसियेट्स की आमदनी:–

आई.एम.सी. बिज़नेस प्लान के लाभ किसी बिज़नेस एसोसियेट द्वारा आई.एम.सी. बिज़नेस निर्माण से सम्बंधित किए गए परिश्रम और प्रयास पर आधारित हैं, जो आई.एम.सी. उत्पादों की खरीद–बिक्री से सम्बन्धित है। जब तक कोई बिज़नेस एसोसियेटस सक्रिय रूप से काम करता रहेगा तब तक उसे इस प्रकार के लाभ मिलते रहेंगे। यदि किसी बिज़नेस एसोसियेट की आईडी में कोई निष्क्रियता पाई जाती है, तो वह इस संहिता के खंड 4.6.2 के तहत बताई गई शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी। आईएमसी के साथ अपने जुड़ाव की अवधि के दौरान एक बिज़नेस एसोसियेट आईएमसी उत्पादों को खरीदकर और बेचकर आईएमसी बिज़नेस के निर्माण में सक्रिय रूप से खुद को शामिल करके सभी लाभ अर्जित करना शुरू कर सकता है।

a. सेल कमीशन :

आईएमसी अपने बिज़नेस एसोसियेट्स को सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। मात्र नए एसोसियेट्स लेकर आना और रिटेल मार्जिन कमाना आईएमसी को स्वीकार्य नहीं है। बिज़नेस एसोसियेट मानते हैं कि सेल्स उचित रूप प्राप्य है और यह कोई ऐसी राशि नहीं कि वे खुद सरलता से उपभोग या बिक्री नहीं कर सकते। बिज़नेस

एसोसियेट्स प्रीफेड कस्टमरस को उत्पाद बेच सकते हैं अथवा खुद के लिए खरीद सकते हैं अथवा पी. बी. वी कमाने के लिए दूसरे ग्राहकों को बेच सकते हैं।

b. आई.एम.सी., बिज़नेस एसोसियेट्स को सेल्स इंसेंटिव्स टी.डी.एस. (टैक्स डिडक्टिड ऐट सोर्स) काट कर जारी करती है जो आयकर कानून और नियम के मुताबिक होता है। अगर कोई बिज़नेस एसोसियेट को आई.एम.सी. के पास अपने पैन नम्बर को जमा/लिंक/अपडेट नहीं करता है तब कम्पनी सी बी डी टी की ओर से निर्धारित 20 प्रतिशत टी.डी.एस. (या इससे उच्चतर प्रतिशत जो आयकर कानून और नियम में प्रस्तावित हो) काटकर इंसेंटिव जारी करेगी। जिन बिज़नेस एसोसियेट आई.डी. पर 20 प्रतिशत टी.डी.एस. काटा गया हो उन्हें आई.एम.सी. से फार्म–16 ए नहीं दिया जायेगा। इसलिए सभी आई.एम.सी. बिज़नेस एसोसियेट्स को सलाह दी जाती है कि वे यथाशीघ्र अपने पैन कार्ड का विस्तृत ब्यौरा कम्पनी के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत/अपडेट या लिंक करें।

c. आई.एम.सी. अपने बिज़नेस एसोसियेट्स द्वारा कमाए गए इंसेंटिव्स को आईएमसी पोर्टल पर दिए गए उनके बैंक अकाउंट्स में जमा कराती हैं। सेल्स इंसेंटिव्स पाने के लिए बैंक अकाउंट की विस्तृत जानकारी (बैंक का नाम, अकाउंट नम्बर, शाखा, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि) देना आवश्यक है। अगर कोई बिज़नेस एसोसियेट बैंक डिटेल को उपलब्ध नहीं कराता है तो उसका सेल्स इंसेंटिव्स उसकी आई.डी. के नाम पर दो वित्तीय वर्ष तक बरकरार रखा जाएगा, जिसके बाद कम्पनी उसे जब्त कर लेगी और बिज़नेस एसोसियेट उसे पाने के लिए दावा नहीं कर सकेगा।

3. आई.एम.सी. बिज़नेस एसोसियेट्स के लिए व्यावसायिक नैतिकता

3.1 आई.एम.सी. अपने बिज़नेस एसोसियेट्स के लिए आई.डी. कार्ड जारी करती है और बिज़नेस एसोसियेट अपने आई.डी. कार्ड को अपने ऑनलाइन लॉगइन पोर्टल से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकता है। जब बिज़नेस एसोसियेट किसी सम्भावित ग्राहक से मिलने का समय निर्धारित कर उसे मिलने जाए तो वह अपना आई.डी. कार्ड (पहचान पत्र) अवश्य साथ लेकर जाए।

3.2 किसी भी सेल्स प्रेजेन्टेशन की शुरुआत में ही, ग्राहक के आग्रह किए बिना, बिज़नेस एसोसियेट के लिए यह ज़रूरी है कि वह खुद के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बारे, और अपने आग्रह की वजह के बारे में अपने संभावित ग्राहक को सच्चाई और स्पष्टता के साथ पूर्ण जानकारी दें।

3.3 एक बिज़नेस एसोसियेट द्वारा संभावित ग्राहक को वस्तुओं, सेवाओं, उनकी कीमतों, शर्तों, भुगतान की शर्तों, रिटर्न पॉलिसी, गारन्टी, बिक्री बाद की सेवाओं आदि के बारे में सटीक और पूर्ण जानकारी विस्तृत ब्यौरे के साथ प्रदान करनी चाहिए।

3.4 बिक्री के समय एक बिज़नेस एसोसियेट के लिए यह जरूरी है कि वह अपने उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं, जैसे कि:

a. नाम, पता, पंजीकरण अथवा नामांकन संख्या पहचान–पत्र और टेलीफोन नंबर और आई.एम.सी. सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दे।

b. सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी।

c. खरीद–बिक्री की प्रक्रिया से पूर्व ही पहले अपने ग्राहक को उत्पाद वापसी सम्बन्धी कम्पनी की पॉलिसी के बारे में विस्तार से बताए।

d. ऑर्डर की तारीख़, बिल के साथ उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि।

e. नमूनों एवं माल की डिलीवरी की जाँच का स्थान और तारीख़।

f. ग्राहक द्वारा ऑर्डर को रद्द करने संबंधी अधिकार की जानकारी और बिक्री योग्य अवस्था में उत्पाद की वापसी और भुगतान की गई राशि की पूर्ण वापसी।

g. शिकायत निवारण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी।

h. प्रत्येक बिक्री के लिए चालान जारी करना।

3.5 एक बिज़नेस एसोसियेट के पास उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक उचित बही–खाता होना चाहिए जिसमें उत्पाद के अलावा उसकी कीमत, उस पर लगने वाला कर, मात्रा और ऐसी दूसरी जानकारियां होनी चाहिए जो कि कानून द्वारा लागू नियम के अनुसार दी जानी चाहिए। एक बिज़नेस एसोसियेट के लिए यह ज़रूरी है कि वह सभी स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें साथ ही साथ लागू हुए सभी स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय करों एवं शुल्कों को चुकाना उसका दायित्व हैं।

3.6 एक बिज़नेस एसोसियेट को नीचे लिखे कार्यों को नहीं करना चाहिए:–

a. भ्रामक, धोखेबाजी और अनुचित व्यापारिक गतिविधियां।

b. भ्रामक, झूठे, छलपूर्ण और अनुचित बहाली से संबंधित काम जैसे कि वास्तविक या संभावित बिक्री के संबंध में गलत जानकारी देना, किसी संभावित डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित फायदे या आमदनी के मामले में गलत जानकारी देना।

c. एक संभावित डायरेक्ट सेलर को गलत तथ्यात्मक जानकारी का दावा करना जिसे जांचा नहीं जा सकता या ऐसा वादा करना जिसे पूरा नहीं किया जा सकता।

d. किसी संभावित डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित लाभ के संबंध में गलत या भ्रामक तरीके से बताना।

e. जानबूझकर डायरेक्ट सेलिंग के काम, पारिश्रमिक व्यवस्था या बिज़नेस एसोसियेट द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के सम्बंध में आई.एम.सी. और डायरेक्ट सेलर/बिज़नेस एसोसियेट के बीच होने वाले समझौते में ऐसी बातें जोड़ना, हटाना, शामिल करना, होने देना आदि जो गलत या भ्रामक हों।

f. किसी वर्तमान या सम्भावित डायरेक्ट सेलर या बिज़नेस एसोसियेट को कोई भी उत्पाद, लिटरेचर, प्रशिक्षण सामग्री या विक्रय उपकरणों को खरीदने के लिए विवश करना।

4. किसी बिज़नेस एसोसियेट की सेवा समाप्ति, इस्तीफा, स्थानांतरण या उसके फिर से जुड़ने सम्बन्धी नियम:

4.1 इस्तीफा : कोई भी बिज़नेस एसोसियेट किसी भी समय अपने दायित्वों को त्यागने के लिए इस्तीफा दे सकता है। यद्यपि अगर वह फिर से व्यवसाय से जुड़ना चाहे तो वह इस्तीफे के छः महीने बाद फिर से जुड़ सकता है, लेकिन वह अपने पुराने एसोसियेट आईडी के अंतर्गत विकसित किए गये व्यापार, आमदनी या टीम को हासिल करने का दावा नहीं कर सकता है। इस छः महीने के दौरान वह बिज़नेस एसोसियेट कंपनी के व्यवसाय में सक्रिय नहीं रहेगा या उसके लिए काम नहीं करेगा।

4.2 इस्तीफे की प्रक्रिया :

a. बिज़नेस एसोसियेट को इस्तीफे का कारण बताते हुए उसे इस्तीफे का फार्म सही तरीके से भर कर कंपनी के समक्ष पेश करना होगा।

b. बिज़नेस एसोसियेट उसके इस्तीफे की तारीख़ से उसके एसोसियेट आईडी के जरिए/द्वारा जो भी प्रोत्साहन राशि, कमीशन, उपहार और पुरस्कार बनेंगे, उन पर अधिकार के लिए वह कोई भी दावा नहीं कर सकता।

c. त्यागपत्र देने वाले बिज़नेस एसोसियेट के द्वारा वापिस किये जाने वाले प्रॉडक्ट्स जिसका बोनस और बी.वी. उसकी अपलाइन द्वारा प्राप्त किया गया है, उसकी कटौती अपलाइन से की जायेगी।

d. इस्तीफा देने वाले बिज़नेस एसोसियेट को उसके द्वारा वापस किये गये उत्पाद (अगर कोई हो तो) की कीमत मे से वास्तविक खरीद पर मिला बोनस, शिपिंग कॉस्ट और 10 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जेज़ या कंपनी द्वारा किया गया कोई अन्य खर्च काट कर एक चैक बनाकर फुल और फाइनल पेमेंट के रूप में अदा किया जाएगा।

e. यदि पति–पत्नी दोनों अलग अलग आई डी पर आई.एम.सी. बिज़नेस संचालित कर रहें हैं और इनमें से कोई एक भी आचार संहिता के उल्लंघन चाहे जाने–अनजाने में या जानबूझकर करता हुआ पाया गया और ऐसे अनाचार के प्रति आई.एम.सी. से निलंबित किया जाता है या अपना इस्तीफा देता है तो किसी एक पति/पत्नी का इस्तीफा आई.एम.सी. बिज़नेस में अन्य पति/पत्नी का भी इस्तीफा माना जाएगा।

4.3 कूलिंग ऑफ पीरियड : आई.एम.सी. अपने बिज़नेस एसोसियेट का 10 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड उनके ज्वॉइनिंग की तारीख से मुहैया कराती है, जिसके दौरान डायरेक्ट सेलर बिना कोई दंड भरे कॉन्ट्रेक्ट रद्द कर सकता है साथ ही इस अवधि के दौरान खरीदे गये आईएमसी उत्पाद(उत्पादों) पर अदा की गई कीमत की धनवापसी की भी मांग कर सकता है जो कि इन आईएमसी उत्पाद (उत्पादों) की मौजूदा विक्रयशील स्थिति के अनुसार होंगी।

4.4 टर्मिनेशन (सेवा से निष्कासन) :

यदि कोई एसोसियेट इस आचार संहिता और आवेदन पत्र में दिए गए नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है तो आईएमसी तुरंत उस दोषी बिज़नेस एसोसियेट की सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है और वह दुबारा ज्वाइन नहीं कर सकता। विशेष मामलों में यदि वह एसोसियेट अपनी गल्ती स्वीकार कर लेता है और कम्पनी से लिखित रूप में माफी माँगने का अनुरोध करता है, तब आईएमसी मेनेजमेंट को उसके कम्पनी को दिए गए माफीनामा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में वह कम्पनी को किसी भी टीम में नए बिज़नेस आई डी के साथ कम्पनी को ज्वाइन कर सकता है/सकती है एक बार टर्मिनेट हुआ एसोसियेट ऐसे इस्तीफे की 6 महीने बाद किसी भी लाईन ऑफ स्पोंसरशिप (एल. ओ. एस.) में दुबारा ज्वाइन कर सकता है। इन 6 महीनों में वह बिज़नेस एसोसियेट कम्पनी बिज़नेस में सक्रिय नहीं रहेगा।

4.5 व्यवसाय का हस्तांतरण :

अगर कोई बिज़नेस एसोसियेट किसी कारण वश अपने बिज़नेस को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे पहले आई.एम.सी. से सहमति लेनी होगी। बिज़नेस एसोसियेट सिर्फ अपने परिवार के सदस्य को ही अपना बिज़नेस ट्रांसफर कर सकता है। नियत कार्य के सम्बन्धित सभी दस्तावेज़ और बिज़नेस एसोसियेट का सहमति पत्र कंपनी में जमा

करवाना पडेगा। आई.एम.सी. बिज़नेस के किसी भी ट्रांसफर का अधिकार सुरक्षित रखती है, कंपनी का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा।

4.6 निष्क्रियता, फिर से ज्वॉइन करना या बिज़नेस टीम में बदलावः

एक व्यक्ति आईएमसी बिज़नेस एसोसियेट के रूप में निशुल्क शामिल हो सकता है और उसकी एसोसियेटशिप अंतिम खरीद की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए वैध रहती है। यदि एसोसियेट किसी अन्य व्यक्ति, एसोसियेट, परिचयकर्ता, स्पोंसर के साथ जुड़ना चाहता है तो इस सन्दर्भ में निम्नलिखित नियम लागू होंगे।

4.6.1 किसी सक्रिय बिज़नेस एसोसियेट के एल ओ एस में बदलावः

अगर कोई बिज़नेस एसोसियेट अपनी बिज़नेस टीम (लाइन ऑफ स्पोंसरशिप) में बदलाव चाहता है तो वह एक बिज़नेस एसोसियेट के रूप में इस्तीफा देकर ऐसा कर सकता है और उसे एल.ओ.एस में बदलाव का फार्म कारण बताते हुए अच्छी तरह से भर कर जमा करना होगा और छः महीने के लिए निष्क्रिय अवधि भी बितानी होगी।

4.6.2 निष्क्रिय बिज़नेस एसोसियेट :

यदि कोई व्यक्ति बिज़नेस में जुड़ता है और वह जिस महीने जुड़ता है उस महीने की क्लोज़िंग के दिन से 6 महीने की अवधि के दौरान किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को नहीं करता है, जैसे कि (1) किसी भी प्रॉडक्ट की खरीद और बिक्री (2) किसी भी बिज़नेस एसोसियेट का स्पोंसर करना, ऐसे बिज़नेस एसोसियेट्स को सिस्टम द्वारा स्वतः ही हटा दिया जाएगा। एक्टिव बिज़नेस एसोसियेट्स के डेटाबेस से उसका नाम हटने पर आईएमसी ऐसे बिज़नेस एसोसियेट्स को व्यावसायिक गतिविधियों/उत्पाद लॉन्च के बारे में कोई भी एसएमएस, ई–मेल, टैक्सट मैसेज या किसी अन्य प्रणाली से मैसेज नहीं भेजेगी।

4.6.3 यदि कोई मौजूदा बिज़नेस एसोसियेट अपनी टीम में शामिल होने के लिये किसी अन्य एसोसियेट को उसके खुद के नाम या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर फिर से जॉइन करने के लिये बहकाता–फुसलाता है तो कंपनी उस री–ज्वॉइन करने वाले बिज़नेस एसोसियेट की नई एसोसियेट आई.डी. को समाप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, और बिज़नेस एसोसियेट द्वारा नई डाउनलाइन में बनाई गई पूरी टीम री–ज्वॉइन करने वाले बिज़नेस एसोसियेट की पुरानी एसोसियेट आई.डी. में उसकी डाउनलाइन के रूप में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

4.6.4 आई.एम.सी. उन सभी बिज़नेस एसोसियेट्स, जिन्होंने अन्य बिज़नेस एसोसियेट को अपनी डाउनलाइन में दोबारा जुड़ने के लिये बहकाया–फुसलाया है और जिन्होंने दोबारा ज्वॉइन किया है, उनको टर्मीनेट, सस्पेंड या लाइन अैफ स्पोंसर शिप को बदलने के साथ–साथ उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है । आई.एम.सी. बिक्री कमीशन को अंतिम निपटारे तक रोकने का अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखती है।

4.6.5 निष्क्रिय प्रीफर्ड कस्टमर : यदि कोई प्रीफर्ड कस्टमर आई.एम.सी प्रॉडक्ट की अंतिम खरीद के दिन से 6 महीने की अवधि तक कोई भी खरीदारी नहीं करता है तो इस तरह के प्रीफर्ड कस्टमर को निष्क्रिय रूप में चिन्हित किया जाएगा और उसकी प्रीफर्ड कस्टमर आईडी सक्रिय प्रीफर्ड कस्टमर के डेटाबेस से स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी। आईएमसी ऐक्टिव प्रीफर्ड कस्टमर के डेटाबेस से नाम हटाने पर ऐसे प्रीफर्ड कस्टमर को उत्पाद लॉन्च/प्रोमोशनल ऑफर इत्यादि के बारे में कोई सूचना नहीं भेजेगी।

5. उत्पाद वापसी की नीति

आई.एम.सी. ऐसे उत्पादों की मार्केटिंग करती है जो अपनी लगातार गुणवत्ता की जाँच और सुरक्षा मानकों के मामलों में बिलकुल ही त्रुटिहीन हैं साथ ही इस बात पर पूरा ज़ोर होता है कि सबसे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद ही बाज़ार में उतारे जाएंगे। यदि फिर भी बिज़नेस एसोसियेट को लगता है कि उन्हे कोई भी प्रॉडक्ट उनकी इच्छा के मुताबिक उत्तम गुणवत्ता वाला नहीं मिला एवम् प्रॉडक्ट के निर्माण या पैकिंग में कोई दोष है, तो वह वो प्रॉडक्ट्स की अदला–बदली या प्रॉडक्ट्स को वापिस कर सकता है। प्राडॅक्ट्स की वापसी के लिये बिज़नेस एसोसियेट को अपने आउटलेट/डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी, जहाँ से उसने प्राडॅक्ट्स खरीदे हैं, खरीद की तिथि के 30 दिनों के अंदर–अंदर वापिस कर सकता है। प्राडॅक्ट्स को बदलने के लिये कोइ ठोस कारण होना चाहिये और उसके साथ असली बिल भी होना चाहिये। ऐसी स्थिति में यह बिज़नेस एसोसियेट की ज़िम्मेदारी है कि प्रॉडक्ट्स को वापिस करने से पहले वह प्रॉडक्ट्स की समाप्त अवधि चैक कर ले।

उत्पादों के साथ, उत्पादों को वापस करने के लिए दस्तावेज़ :

वापसी का कारण बताते हुए उत्पाद वापसी का फॉर्म। असली रसीद।

उत्पाद वापसी की यह प्रक्रिया बिज़नेस एसोसियेट के जोखिम को कम करने में मदद करने के उद्देश्य से है। साथ ही यह सभी बिज़नेस एसोसियेट्स की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले अपनी जरूरत और अपने सर्कल की मांग के बारे में अच्छी तरह से आश्वस्त हो लें। यह सलाह दी जाती है कि कोई भी बिज़नेस एसोसियेट उत्पादों की जमाखोरी न करें और प्रायोजक यानि स्पोंसर की यह ज़िम्मेदारी है कि वह उसकी टीम को खरीदारी संबंधी नैतिक नियमों के मामले में मार्गदर्शन दे। बिज़नेस एसोसियेट्स को उतना ही उत्पाद खरीदना चाहिए जिसका पचहत्तर प्रतिशत वह खुद बेच या इस्तेमाल कर सके। यदि कोई बिज़नेस एसोसियेट समय के साथ अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं की निगरानी में चिंताशील नहीं है और अनावश्यक ऑर्डर देने और उन्हें नियमित आधार पर कंपनी को वापस करने का आदि है तो उक्त कार्य को उस बिज़नेस एसोसियेट की ओर से अपने व्यवसाय के संचालन में लापरवाही माना जाएगा। ऐसे मामलों में आईएमसी के पास रिटर्न/एक्सचेंज/रिफंड के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. आई.एम.सी. के बौद्धिक संपदा का सुरक्षण

कंपनी ने आई.एम.सी. ब्रांड को खड़ा करने में अत्यधिक निवेश किया है और आज यह देश के हर शहर में एक जाना–माना नाम है। आई.एम.सी. अपने बौद्धिक संपदा संबंधी हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाती है। यह सभी बिज़नेस एसोसियेट्स का दायित्व है कि वे आई.एम.सी. की बौद्धिक संपदा जैसे इसका ट्रेड मार्क, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स की रक्षा के लिए काम करें। कोई भी बिज़नेस एसोसियेट आई.एम.सी. की बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन न करें और अगर उसकी दृष्टि में कहीं भी ऐसा होता है तो वह आई.एम.सी. को इसके बारे में सूचित करें।

6.1 सारी छपाई सामग्री, लेबल्स, लोगो, स्लोगन्स इत्यादि आई.एम.सी. और संबद्ध कंपनियों की कॉपी राइट सामग्रियां हैं। किसी भी बिज़नेस एसोसियेट या किसी अन्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह आई.एम.सी. या संबंधित कंपनियों की लिखित अनुमति के बिना इन कॉपी राइट्स की सामग्रियों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके।

6.2 कोई भी बिज़नेस एसोसियेट इन उत्पादों की रीपैक या उसके लेबल, मार्क या लोगो आदि में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता।

6.3 कोई भी बिज़नेस एसोसियेट आई.एम.सी. बिज़नेस के निर्माण के लिए व्यक्तिगत या विशिष्ट स्व–प्रचार प्रस्तावों की योजना नहीं बना सकता है और यदि कोई भी बिज़नेस एसोसियेट ऐसा करते हुए पाया जाता है तो कंपनी आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

7. विज्ञापन और सोशल मीडिया

7.1 बिजेनस एसोसियेट आई.एम.सी. के बिजेनस और उत्पादों का विज्ञापन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर सकता है पर शर्त यह है कि बिजेनस एसोसियट के पास कंपनी के नाम, उसके ट्रेड मार्क और कॉपीराइट को इस्तेमाल करने की अनुमति लिखित रूप में हो।

7.2 यह सुनिश्चित करना बिज़नेस एसोसियेट की जिम्मेदारी है कि कोई भी भ्रामक या गलत टेक्स्ट, तस्वीर या वीडियो आदि जो किसी व्यक्ति को आई.एम.सी. बिज़नेस से जुड़ने या आई.एम.सी. उत्पादों को खरीदने के लिए लुभाता हो, ऐसी सामग्रियों का विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल ना हो। ऐसे सभी विज्ञापन अवश्य ही आई.एम.सी. के आधिकारिक लिट्रेचर के अनुरूप हो।

7.3. आई.एम.सी. के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उसके नाम या लोगो का कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस्तेमाल करने पर ऐसे उल्लंघन करने वाले बिज़नेस एसोसियेट्स के खिलाफ आचार संहिता के दंडात्मक नियमों के अनुसार कड़ी कानूनी कारवाई की जाएगी।

8. स्वामित्व– एजेंट जैसा कोई संबंध नहीं

कोई भी बिज़नेस एसोसियेट स्वतंत्र कॉन्ट्रेक्टर के रूप में काम करेगा और किसी भी रूप में नियोजक और नियोक्ता या कोई श्रम संबंध आई.एम.सी. या उससे संबद्ध या अधीनस्थ कंपनी और बिज़नेस एसोसियेट के बीच, कंपनी के उत्पादक, दलाल, कमर्शियल एजेंट, कॉन्ट्रेक्टिंग रिपर्ज़ेंटेटिव या अन्य रिपर्ज़ेंटेटिव जैसा कोई संबंध नहीं होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है किः

8.1 कोई भी बिज़नेस एसोसियेट कंपनी यानि आई.एम.सी. के नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा।

8.2 कोई भी बिज़नेस एसोसियेट उत्पादों को क्रेडिट पर खरीद या बेच नहीं सकता है और अगर वह ऐसा करता है तो वह स्वयं ज़िम्मेवार होगा और बैड डेट्स की इस स्थिति में आई.एम.सी. की इस नुकसान में किसी तरह की ज़िम्मेवारी नहीं होगी।

9. छलपूर्ण या अनैतिक व्यापारिक कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

आई.एम.सी. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सच्चाई में विश्वास रखती है। इसलिए वह किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यापारिक काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे अनैतिक व्यापारिक काम निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं–

9.1 किसी अन्य बिज़नेस एसोसियेट के आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या उसका दुरुपयोग करने, टीम द्वारा की जाने वाली बिक्री को रोकने या टीम द्वारा की गई बिक्री का इस्तेमाल अपने निजी बिक्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की मनाही है।

9.2 यदि कोई बिजनेस एसोसिएट किसी डाउनलाइन एसोसिएट से उत्पादों के बदले भुगतान लेता/स्वीकार करता है तो उसे उत्पादों का बिल अवश्य देना होगा।

9.3. इस बात की बिलकुल भी इजाज़त नहीं होगी कि किसी व्यक्ति को बिज़नेस ग्रुप में शामिल करने के लिए किसी भी प्रकार की नकद राशि का प्रस्ताव किया जाए या उसे कोई झूठा वादा किया जाए ।

9.4 इस बात की भी अनुमति नहीं होगी कि उत्पादों की बिक्री के लिए टीम पर दबाव डाला जाए या किसी अन्य बिज़नेस एसोसियेट द्वारा की गई बिक्री का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पूरा किया हुआ दिखाने के लिए या ऐसा अपनी टीम के किसी अन्य बिज़नेस एसोसियेट के मामले में करने के लिए किया जाए। कोई भी बिज़नेस एसोसियेट किसी भी व्यक्ति को जानबूझ कर या अनजाने में अनावश्यक रूप से बहुत भारी मात्रा में आई.एम.सी उत्पादों को खरीदने की सलाह नहीं देगा।

9.5 अगर कोई भी बिज़नेस एसोसियेट ऊपर दिए गए चार प्रतिबंधित गतिविधियों में से किसी में भी शामिल होने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे गलत गतिविधियों के शिकार बिज़नेस एसोसियेट को आई.एम.सी स्पोंसर को बदलने की मांग करने का अधिकार देती है ।

10. विविध यानि मिसलेनियस

10.1 उत्पाद, उसकी कीमत और उत्पाद के बिज़नेस वॉल्यूम, व्यापार की योजना और आचार संहिता में किसी भी समय पर बिना पूर्व सूचना के जरूरत के मुताबिक बदलाव करने का अधिकार केवल आईएमसी के पास सुरक्षित है। ऐसे बदलाव के बारे में आई.एम.सी के सभी बिज़नेस एसोसियेट्स को आईएमसी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा। इस प्रकार के बदलाव से किसी भी बिज़नेस एसोसियेट को होने वाले नुकसान के लिए आई.एम.सी. उत्तरदायी नहीं होगी।

10.2 किसी बिज़नेस एसोसियेट के निष्कासन से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आई.एम.सी. जिम्मेवार नहीं होगी। ऐसे नुकसान के लिए बिज़नेस एसोसियेट ही पूरी तरह ज़िम्मेवार होगा।

10.3 आईएमसी बिज़नेस एसोसियेट की एसोसियेट आईडी समाप्त होने पर उसके सभी अधिकार समाप्त कर देगी और बिज़नेस से होने वाली आय (यदि कोई हो) बंद कर देगी और उसकी टीम को उसके स्पॉन्सर/अपलाइन को ट्रांसफर कर दी जाएगी।

11 आचार संहिता का प्रभावशाली कार्यान्वित

11.1 आचार संहिता का उल्लंघन एक गम्भीर विषय है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह बिज़नेस एसोसियट के व्यक्तिगत व्यापार को प्रभावित करता है बल्कि इसलिए भी कि इसके कारण व्यक्तियों, मीडिया, सरकारी अधिकारियों पर आईएमसी के प्रति विचारधारा पर प्रभाव पड़ता है। आईएमसी का अनुरोध है कि प्रत्येक बिज़नेस एसोसियेट को अपनी टीम के मन में अवधारणा बिठानी है कि आचार संहिता का अनुसरण करना ही है। आचार संहिता के उल्लंघन से पीड़ित बिज़नेस एसोसियेट उल्लंघन करने वाले बिज़नेस ऐसोसियट के बारे मैनेजमेन्ट से सम्पर्क कर सकता है और अनैतिक आचरण जैसे डाउनलाइनस को अन्य टीम अथवा अपनी बिज़नेस टीम में सम्मिलित होने के लिए दबाव या प्रलोभन देना इत्यादि, के प्रति शिकायत कर सकता है। दोषी ऐसोसियट के अनैतिक आचरण के प्रति पीड़ित बिज़नेस एसोसियट घटनाक्रम के 2 वर्ष के भीतर शिकायत कर सकता है। यह ध्यान रखना बहुत उचित है कि 2 वर्ष के उपरान्त आईएमसी ऐसी शिकायत पर गौर नहीं करेगी।

11.2 आई.एम.सी किसी भी उल्लंघन को सही करने के लिए मार्गदर्शन और सलाह के जरिये हर संभव प्रयास करेगी तथा किसी गंभीर मामले में आगे की कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है जो कि सिर्फ निम्नलिखित तक सीमित नहीं होगा और आई.एम.सी द्वारा किसी भी क्रम में या एक से अधिक भी लागू हो सकता है:

a. रीओरिएंटेशन मीटिंग्स आयोजित करना और स्पोंसरशिप की टीम से खर्च वसूल करना।
b. नियम का उल्लंघन करने वाले बिज़नेस एसोसियेट की निलंबन अवधि लागू करना।
c. कंपनी द्वारा प्रायोजित ट्रिप्स स्थगित कर देना।
d. स्पोंसरिंग संबंधी गतिविधियों को आयोजित करने के अधिकारों का निलंबन या स्थगन।
e. व्यापार में प्राप्त होने वाले कमीशन, उच्च स्तर की पुरस्कार राशि या अन्य प्रकार की प्राप्त होने वाली राशि को रोक लेना/जब्त कर लेना।
f. उल्लंघन करने वाले बिज़नेस एसोसियेट को हमेशा के लिए निकाल देना ।

11.3 आई.एम.सी अपने बिज़नेस एसोसियेट को उचित सुधारात्मक कारवाई एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो निर्णय पत्र में उल्लिखित हो उसे लागू करने का अधिकार देगी। हालांकि समय सीमा की समाप्ति के पूर्व अगर उसका अनुसरण नहीं होता तो आई.एम.सी. स्वयं ही प्रत्यक्ष कार्रवाई करेगी। उल्लंघन करने वाले बिज़नेस एसोसियेट को ऐसी कार्रवाई की सूचना उस एसोसियेट के पते पर पत्र द्वारा दी जाएगी।

12. आईएमसी बिज़नेस एसोसियेट की टर्मिनेशन के परिणाम

12.1 बिज़नेस एसोसियेट को हटाए जाने का अर्थ है आई.एम.सी के साथ उस बिज़नेस एसोसियेट के सभी संबंधों की समाप्ति उस तारीख से जब निष्कासन की सूचना जारी की गई हो और वह बिज़नेस एसोसियेट शीघ्र ही अपने सारे अधिकार और लाभ हित जिनमें संबंधित आई.एम.सी. व्यापार से प्राप्त बोनस भी शामिल होंगे उन्हें वह खो देगा ।

12.2 जब कोई आई.एम.सी. से बिज़नेस समाप्त करता है तो पहले आई.एम.सी. बिज़नेस एसोसियेट अपने नेटवर्क में प्राप्त अपना स्थान खो देता है जिनमें उसका बोनस, रैंक और योग्यता आदि शामिल हैं।

12.3 आई.एम.सी. को यह अधिकार है कि आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन और व्यापारिक शर्तों की अवहेलना की स्थिति में वह अपने साथ किए गए समझौते को समाप्त कर दे।

12.4 जिस किसी भी कारण से किसी बिज़नेस एसोसियेट के अधिकारों की समाप्ति की स्थिति पर, बिज़नेस एसोसियेट तत्काल प्रभाव से :

a. सभी ट्रेडमार्कस, व्यापारिक नामों, प्रतीक चिन्हों और आईएमसी बिज़नेस में अथवा आईएमसी बिज़नेस सम्बन्धी अन्य औद्योगिक समस्याओं के इस्तेमाल पर रोक।
b. आई.एम.सी बिज़नेस एसोसियेट के रूप में उसकी पहचान भी समाप्त हो जाएगी। आई.एम.सी बिज़नेस एसोसियेट को यह अधिकार होगा कि वह आई.एम.सी. मैनेजमेन्ट से उसे हटाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह कर सके और इस बारे में आईएमसी मैनेजमेंट का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा ।

12.5 ऐसी स्थिति में जहाँ आई.एम.सी. यह तय करती है कि बिज़नेस एसोसियेट के बिज़नेस को समाप्त (टर्मिनेट) या अप्रायोजित (डी–स्पोंसर) करना आवश्यक है, या यदि कोई बिज़नेस एसोसियेट अपने बिज़नेस एसोसियेट समझौते को रद्द कर देता है या उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति के बिना मर जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का संचालन करने के इच्छुक हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप का निपटारा निम्नलिखित विधियों के अनुसार निर्धारित तरीके से किया जाएगा :

12.5.1 टर्मिनेटेड या अप्रायोजित बिज़नेस एसोसियेट्स के बिज़नेस को (टर्मिनेटेड या अप्रायोजित बिज़नेस एसोसियेट्स द्वारा पहले प्रायोजित बिज़नेस एसोसियेट्स के बिज़नेस सहित) उसी लेग के दूसरे बिज़नेस एसोसियेट्स के बीच में समायोजित/हस्तांतरित किया जाएगा जहाँ वह बिज़नेस एसोसियेट (टर्मिनोलॉजीस या अप्रायोजित होने से पहले उपस्थित था।

12.5.2 ऐसे टर्मिनेटेड या अप्रायोजित बिज़नेस एसोसियेट्स की आईडी पर उत्पन्न हुआ कोई भी फंड, अन्य बिज़नेस एसोसियेट्स को तदानुसार आईएमसी के बिज़नेस प्लान में प्रस्तावित शर्तों और नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

12.5.3 तथापि बिज़नेस प्रबंधन के उपरोक्त तरीकों के लिए किसी भी प्रकार से आईएमसी परिसीमित नहीं है और स्वेच्छा से निर्णय लेने के लिए आधिकारक है।

स्वस्थ ज़िंदगी

आई.एम.सी हैड ऑफिस

इंटरनैशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि., श्री गुरू नानक देव भवन, भारत नगर चौक, लुधियाना 141001

info@imcbusiness.com www.imcbusiness.com www.facebook.com/imcbusiness

Toll Free No. 980-984-3098